

श्रीद्वंगरगढ़ की सोशल मीडिया फेम लड़की घर के आगे से हुई किडनैप, जांच शुरू

NEXT | श्रीद्वंगरगढ़

श्रीद्वंगरगढ़ की एक सोशल मीडिया फेम के घर के आगे से किडनैप होने की खबर ने पूरे जिले को सकते में ला दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे की जाह्नवी मोदी पुत्री सीताराम मोदी का आज शाम 7 बजे घर के आगे से अज्ञात लोगों द्वारा किडनैप कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़की का मोबाइल भी घर पर है। हालांकि पुलिस द्वारा सूचना के साथ ही नाकाबंदी कर दी गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि एक सफेद कार सुबह से घर के आगे खड़ी थी। बस वह थोड़ी थोड़ी देर में अपनी जगह बदलती रही। लड़की की मां पुष्पा मोदी ने बताया कि शाम को जब वह बेटी के साथ



घर के आगे जमा भीड़ और पुलिस

किडनैप की पूरी कहानी, लड़की की माँ की जुबानी इस खबर का वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।



बाजार से आ रही थी तब एक कार उनके आगे आकर रुकी और 2 लड़के मुंह बांधकर बाइक से आये और मां को धक्का दिया और लड़की को गाड़ी में डालकर ले गए। सीआई ने बताया कि तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस टीम खंगाल रही है।

शेरुणा में नई पंचायत समिति गठन की मांग विधायक और एसडीएम को दिया ज्ञापन



NEXT | श्रीद्वंगरगढ़

श्रीद्वंगरगढ़ के शेरुणा ग्राम पंचायत के निवासियों ने सोमवार को नई पंचायत समिति गठन की मांग को लेकर शेरुणा पंचायत मुख्यालय पर बैठक की। इसके बाद ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी उमा मित्तल को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शेरुणा से श्रीद्वंगरगढ़ की दूरी 28 किलोमीटर और जिला मुख्यालय बीकानेर की दूरी 40 किलोमीटर है। शेरुणा से आसपास के सभी गांवों के लिए आवागमन की बेहतर



सुविधा उपलब्ध है। शेरुणा में पुलिस थाना, कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय, राजस्व निरीक्षक कार्यालय और पशुधन सहायक कार्यालय जैसे कई प्रशासनिक कार्यालय पहले से मौजूद हैं। साथ ही, गांव की आबादी लगभग 10,000 है और पंचायत समिति के लिए भूमि भी उपलब्ध है। ग्रामीणों ने कहा कि शेरुणा थाने के अंतर्गत आने वाली 25 से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए शेरुणा एक सुविधाजनक मुख्यालय साबित होगा। प्रस्तावित पंचायत समिति के गठन से क्षेत्र के विकास को गति

मिलेगी। इसके बाद ग्रामीणों ने विधायक ताराचंद सारस्वत से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में भरतसिंह राठौड़ (एडवोकेट), पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रेम भादु, एडवोकेट रणवीर सिंह, पेमाराम गोदारा, गजानंद सारस्वत, मूलाराम गोदारा, गौरीशंकर स्वामी, रतनलाल सारस्वत, चिमनाराम मेघवाल, जगदीश साई, गंगाराम भादु, भंवरलाल साई, हनुमान सारस्वत, अमरचंद सारस्वत, लालाराम गोदारा और गोपाल भादु सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

ट्रोमा सेंटर निर्माण की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन ने निकाली जनआक्रोश रैली

NEXT | श्रीद्वंगरगढ़

मंगलवार को श्रीद्वंगरगढ़ टैक्सी यूनियन के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर मुख्य बाजार से उपखंड कार्यालय तक जनआक्रोश रैली निकालते हुए ट्रोमा सेंटर और उपजिला अस्पताल निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन अध्यक्ष श्याम गिरी गुसाई और उपाध्यक्ष गौरीशंकर स्वामी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए ट्रोमा



पड़ रही है।

यूनियन सदस्यों ने उपखंड अधिकारी उमा मित्तल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सदस्यों ने उपखंड कार्यालय परिसर में नारेबाजी भी की।

रैली में यूनियन मंत्री शौकीन काजी, आनंद जोशी, श्याम गिरी, किशोर जाट, इंगरमल कुम्हार, बबलू यादव, सुभाष चंद्र स्वामी, राकेश जाट, सीताराम गोदारा, तौफीक खान, श्रवण सिंह, खालिद खान, छैलूसिंह राठौड़, आमीन

खान, शोयब अली, अकबर खान, अनवर हुसैन, लूणाराम जाट, बजरंग लाल, रियान खान, शंकर गिरी गोसाई, रामनिवास जाट, असलम खान, फारूक अली, बाबूलाल शर्मा, अनिल कुमार, सुमेर सिंह, निखिल जोशी, शहबाज खान, राधाकिशन स्वामी, हरिनाथ सिद्ध, दिनेश कुमावत, हंसराज शर्मा, सराज भाटी, राजकुमार स्वामी, कमल कुमार मीणा, कमालुद्दीन खान, हीरालाल प्रजापत, छोटाराम, पूनम, सतीश सारस्वत, शिव मोट सहित अनेक सदस्य शामिल हुए।

दोषपूर्ण कार्यों को हटाने के लिए दावा कैसे करें?



लोक पर प्रभाव रखने वाले दोषपूर्ण कार्यों को किस प्रकार हटाया जाए, इस सम्बंध में आज युवा अधिवक्ता दीपिका करनाणी से जानेंगे।

NEXT

सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) की धारा 91 के अनुसार, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति, संस्था, सरकारी कार्यालय या अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य करता है या कर रहा है जिससे आमजन पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तो उस दोषपूर्ण कार्य को हटाने के लिए एक दावा न्यायालय में दायर किया जा सकता है। धारा 91 सीपीसी के तहत दोषपूर्ण कार्य के संबंध में आमजन को न्यायालय अनुतोष प्रदान करती है। जैसे कोई जलदाय विभाग द्वारा अपने जल संग्रहण टंकियों या होद या पाइपलाइन आदि से दूषित जल सप्लाई किया जा

रहा है तो उसे रिमूव करवाने के लिए जलदाय के विरुद्ध धारा 91 सीपीसी के तहत दावा दायर किया जा सकता है। न्यायालय जलदाय विभाग को आदेश दे सकता है कि दूषित जल की सप्लाई को दूर करें और स्वच्छ पानी की सप्लाई करें। इसी प्रकार, कोई आदमी आम रास्ता, फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लेता है जिससे आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उन बाधाओं को हटाने के लिये और दुबारा बाधा उत्पन्न नहीं करे, ऐसे में धारा 91सीपीसी के तहत न्यायालय में दावा पेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आवासीय

क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री लगाता है जिससे बहुत ज्यादा आवाज होती हो, या जोर से डीजे/ लाउडस्पीकर बजाता हो या फैक्ट्री से जहरीली गैस निकलती हो, जिससे आमजन के सामान्य जीवन में बाधा उत्पन्न होती हो या स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो ऐसे दोषपूर्ण कार्य को हटाने के संबंध में दावा पेश कर सकते हैं। **नोट:** यह दावा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अकेला व्यक्ति यह दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। और न्यायालय की अनुमति से ही दो व्यक्ति यह दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।



सेंटर की स्वीकृति दी थी। लेकिन अब तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है, जिससे हर साल सैकड़ों घायल और गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यूनियन ने आरोप लगाया कि इस देरी के कारण कई परिवारों को अपूरणीय क्षति उठानी

फर्जी डिग्री से नौकरी करने वाले 129 पीटीआई शिक्षक बर्खास्त

NEXT | श्रीद्वंगरगढ़

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। इनमें धौलपुर जिले के 12 शिक्षक भी शामिल हैं। ये शिक्षक

पिछले 16 महीने से सेवाएं दे रहे थे।

भर्ती प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा : शारीरिक शिक्षा शिक्षक सीधी भर्ती-2022 के तहत 5546 पदों पर नियुक्तियां हुई थीं। इसके लिए 12वीं तक की पढ़ाई और शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा अनिवार्य था।

दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान 321 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। जांच में पता चला कि 244 अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री और दस्तावेजों का सहारा लेकर नौकरी हासिल की थी।

आगे की कार्रवाई जारी : चयन बोर्ड ने

शिक्षा विभाग को इन 244 फर्जी नियुक्तियों की सूची भेज दी है। जांच में यह भी सामने आया कि कई ऐसे लोग नौकरी में थे, जिन्होंने केवल 8वीं तक की पढ़ाई की थी। बोर्ड ने बर्खास्तगी के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का संकेत भी दिया है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बाइक रैली आज

NEXT 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के दस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 22 जनवरी से 8 मार्च तक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज बुधवार को बाइक रैली से होगी।